


अनुसूची 98 - फारम नं० १६२
आदेश पत्रक
(वेधे अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश फलक ता० से तक

जिला-सिमडेगा सं० सन 2000


केस का प्रकार अनुमति पाव सं० 32 / 2017-20

धारा 46 के अन्तर्गत

रा के काम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे तारीख सहित टिप्प															
1	2	3															
<p>26-4-19</p>	<p>आवेदक <u>श्री व. न. दिव्य कुल्लू</u> पिता/प्रति <u>स्व. व. र. न. ल. स. कुल्लू</u> ग्राम <u>मेरोमडेगा</u> जिला-सिमडेगा ने निम्नांकित विवरण धाना <u>नैरुईटांगर</u> की भूमि को प्रस्तावित क्रेता <u>श्री. म. न. मुक्ता कुल्लू</u> पिता/पति <u>श्री. व. स. ल. कुल्लू</u> ग्राम <u>धुतवहार</u> जिला-सिमडेगा को छोटीनागपुर कारतकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत <u>भूमि विक्री</u> हेतु अनुमति के निर्मित आवेदन पत्र अर्पित किया है। क्रेता एवं विक्रेता का प्रतिशपथ पत्र के साथ अधिवक्ता की नियुक्ति पत्र भी जमा की गई है।</p> <p align="center">भूमि का विवरण</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>बीजा</th> <th>धाना/धाना न०</th> <th>खाता सं०</th> <th>प्लॉट सं०</th> <th>रकबा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>मेरोमडेगा</td> <td>नैरुईटांगर</td> <td>210</td> <td>609</td> <td>2.34 रु. में से</td> </tr> <tr> <td></td> <td>125</td> <td></td> <td></td> <td>0.12 रु.</td> </tr> </tbody> </table> <p>कुल आवेदित रकबा (शब्दों में) <u>द्वारह डिसमील</u> मात्र। आम इस्तहार निर्गत करें। साथ ही अंचलाधिकारी, <u>नैरुईटांगर</u> से विस्तृत जीघ प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक <u>13-5-19</u> को रखें।</p> <p align="right">  भूमि सुधार उप समाहर्ता, सिमडेगा। </p>	बीजा	धाना/धाना न०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	मेरोमडेगा	नैरुईटांगर	210	609	2.34 रु. में से		125			0.12 रु.	
बीजा	धाना/धाना न०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा													
मेरोमडेगा	नैरुईटांगर	210	609	2.34 रु. में से													
	125			0.12 रु.													

9/12/2020

अभिलेख उपस्थापित। नोटिश की तामिला प्रति प्राप्त। अंचल अधिकारी का जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त। आवेदक/विक्रेता या उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी किसी प्रकार की कोई पैरवी नहीं किया गया है। अभिलेख दिनांक 30/12/2020 को उपस्थापित करें।


L.R.D.C.
Simdega


30/12/2020

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी का जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त। विक्रेता की ओर से स्वयं आवेदक/विक्रेता या उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी किसी प्रकार की कोई पैरवी नहीं किया गया है। अभिलेख दिनांक 18/01/2021 को उपस्थापित करें।


L.R.D.C.
Simdega

18/01/2021

अभिलेख उपस्थापित। नोटिश की तामिला प्रति प्राप्त। अंचल अधिकारी का जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त। आवेदक/विक्रेता की ओर से स्वयं आवेदक/विक्रेता या उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी किसी प्रकार की कोई पैरवी नहीं किया गया है। इस वाद में प्रतित होता है कि इसमें विक्रेता को किसी प्रकार कोई अभिरुची नहीं है साथ ही अंचल अधिकारी के द्वारा भी अभी तक जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस वाद में काफी लम्बा समय व्यतित हो गया है एवं वाद की कारवाई को और लम्बित रखना उचित प्रतित नहीं होता है। अतः वाद की कारवाई **समाप्त** किया जाता है। यदि आवेदक चाहें तो पुनः आवेदन कर सकते हैं।


L.R.D.C.
Simdega